



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर, म.प्र.

क्रमांक / / री.ए.डी.एम. / 2020

इन्दौर, दिनांक 26/06/2020

2019

“ आदेश ”

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण, इन्दौर में शासकीय नीलामी की अनुमति के संबंध में)

पूर्व जारी आदेश क्रमांक 1438-1439/री.ए.डी.एम./2020 दिनांक 26/05/2020 द्वारा मण्डी में प्रतिबंधित की गई शासकीय नीलामी को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा ।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित)

2020

अति० जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.

इन्दौर, दिनांक 26/06/2020

पृ०क्र०...../री०ए०डी०एम०/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
6. अति. पुलिस अधीक्षक, पश्चिम क्षेत्र/यातायात, इन्दौर ।
7. एस०डी०एम०/नगर पुलिस अधीक्षक, अन्नपूर्णा/राऊ क्षेत्र, इन्दौर ।
8. जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला इन्दौर ।
9. सचिव, कृषि उपज मण्डी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
10. थाना प्रभारी, थाना राजेन्द्र नगर, इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
11. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
12. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
13. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
14. संबंधित

अति० जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.